अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

नसीम अख्तर फारूखी बनाम अजीजुर रहमान पुत्र फजलुर रहमान फारूखी वगैरह
किस्म मुकदमा–225 राज.काश्तकारी अधिनियम प्रकरण संख्या 148/2023
(अजमेर)

	श्री लव प्रताप सिंह एडवोकेट	
11.05.2023	नसीम अख्तर फारूखी बनाम अजीजुर रहमान वगैरह (148/2023) यह अपील श्री लव प्रताप सिंह एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी,अजमेर के द्वारा प्रकरण संख्या 61/2017 मे पारित आदेश दिनांक 02.11.2017 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व शपथ पत्र पेश किया गया। जिस पर अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट ने दौराने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया किया कि प्रार्थीया 67 वर्ष की वृद्धा औरत होने के साथ केंसर की बीमारी से ग्रस्त है जो अपने घर पर इलाज ले रही है इस कारण ज्यारा इधर–उधर आने जाने में असर्थन रही है। पिछले सालो से करोना माहमारी के कारण भी प्रार्थीया अपने अभिभाषक से सम्पर्क नहीं कर सकी। दिनांक 08.05.2023 को प्रार्थीया ने अपने पुत्र को अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर प्रकरण में जानकारी करने को कहा तो प्रार्थीया का पुत्र दिनांक 08.05.2023 को अपने अभिभाषक से मिला तो प्रार्थीया के अभिभाषक ने प्रार्थीया के पुत्र को बताया कि प्रकरण में सन् 2017 से न्यायालय ने सुनवाई नही की है अनावश्यक पेशीयॉ दी जाती रही है। वर्तमान में सुनवाई की संभावना कम है आप चाहे तो अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील कर न्यायालय से उचित आदेश प्राप्त कर सकते है। प्रार्थीया के अभिभाषक ने अपील के लिए दिनांक 09.05.2023 को प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर दिनांक 09.05.2023 को प्रमाणित प्रतिलिपियॉ प्राप्त की तथा आज अविलम्ब अपील प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थीया ने अपील प्रस्तुत करने अपनी से कोई लापवाही नहीं की वल्कि विलम्ब उपरांकित कारणों से हुआ जो सद्भाविक होकर क्षमा योग्य है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुयी विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा प्रार्थना–पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थीया/अपीलांट के द्वारा प्रार्थना पत्र में देरी के जो कारण अंकित किये गये है जो संतोषजनक होने एवं सद्भाविक होने के कारण न्यायहित में प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर किया जाना चाहिए उचित समझते है। **अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।** तत्पश्चात अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पर पेश किया गया जिस पर अभिभाषक प्रार्थीया/अपीलांट को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट ने दौरोने वहस प्रार्थना– पत्र स्थगन में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष दिनांक 02.11.2017 को अपीलांट वाद/अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.11.2017 को प्रार्थना पत्र संख्या 61/2017 को दर्ज रजिस्टर करते हुए रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलबी के आदेश पारित किये गये थें। रेस्पोडेन्ट संख्या01 व 02 की ओर से	राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

नसीम अख्तर फारूखी बनाम अजीजुर रहमान पुत्र फजलुर रहमान फारूखी वगैरह

किस्म मुकदमा–225 राज.काश्तकारी अधिनियम प्रकरण संख्या 148/2023

(अजमेर)

दिनांक 15.03.20218 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका था, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण उभयपक्ष की सुनवाई नहीं की, न ही प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश पारित किये है,लगभग 47–48 पेशीयों उपरांकित कारणों से तब्दी की जाती रही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकार आदेश 39 नियम 3 जा.दी. के प्रावधाना की पूर्णतया अवहेलना की है। इसका नायज लाभ उठाते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 ने दिनांक 15.11.2022 को वादग्रस्त भूमि को जरिये पंजीकृत बयनामा के द्वारा बिना कब्जा के बैचान कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 द्वारा लिस पैडेन्सी के दौरान किया गया बयनामा पूर्णतया विधि विरूद्ध है तथाकथित बयनामा के आधार पर अपीलांट को वादगरस्त भूमि से उसके हक हिस्से से बेदखल करने की धमकियॉ दी जा रही है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 5 के पिता/पति स्व.फजलुर रहमान ने खरीद की थी। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में अपीलांट के संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी में चली आ रही है, जिसमें अपीलांट को 1/6 हिस्सा है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1/6–1/6 हिस्सा बनता है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि मौजा दौराई तहसील अजमेर हाल आराजी खसरा नम्बर 258 रकबा 0.65 है0 के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति रखे जाने एवं रेस्पोडेन्टस को वादग्रस्त भूमि को रहन, बय व मुन्तकिल एवं बख्शीश आदि नहीं करने हेतु पावंद किये जाने के न्यायिक आदेश मान्नीय न्यायालय से प्राप्त करने की मुश्तहक है। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 02.11.2017 में अंकित वादग्रस्त भूमि मौजा दौराई तहसील अजमेर हाल आराजी खसरा नम्बर 258 रकबा 0.65 है0 के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति रखे जाने एवं रेस्पोडेन्टस को वादग्रस्त भूमि को रहन, बय व मुन्तकिल एवं बख्शीश आदि नहीं करने हेतु पावंद किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना–पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 258 रकबा 0.65 है. अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 5 के पिता/पति स्व.फजलुर रहमान ने खरीद की गई थी। वादग्रस्त भूमि संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी में चली आ रही है, जिसमें अपीलांट को 1/6 हिस्सा है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1से 05 का 1/6–1/6 हिस्सा बनता है। जिसका विधिक बंटवारा कराये बिना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 के द्वारा दिनांक 15.11.2022 को वादग्रस्त भूमि को जरिये पंजीकृत बयनामा के द्वारा बैचान किया गया है, जो लिस पैडेन्सी के दौरान किया गया। विवादित आराजीयात वादीगण की पुश्तैनी आराजियात है। यदि प्रकरण के विचाराधीन रहते हुए विवादित आराजी को सरंक्षित नहीं किया जाता है तो अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम निषेधाज्ञा का अंतिम निरतारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं किन्तु उभय पक्षकारों के मध्य कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद विद्यमान है। इस सम्बन्ध में उच्चतर न्यायालयों के विभिन्न न्यायिक दृष्टांत में पारित सिद्धान्त की अवधारणा के अनुसार कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद मौजूद होने पर विवादित आराजी को संरक्षित किया जाना न्याय संगत है तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निरतारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना है, इसलिए न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

नसीम अख्तर फारूखी बनाम अजीजुर रहमान पुत्र फजलुर रहमान फारूखी वगैरह

किस्म मुकदमा–225 राज.काश्तकारी अधिनियम प्रकरण संख्या 148/2023

(अजमेर)

इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय, अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें, तब तक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र संख्या 61/2017 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 258 रकबा 0.65 है0 वाकै ग्राम दौराई तहसील अजमेर व जिला अजमेर के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावें। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा के आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जायेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner